भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 1378

सोमवार, 27 जुलाई, 2026/5 श्रावण, 1948 (शक)

रोजगार सृजन और श्रमिक कल्याण

1378. डॉ. आलोक कुमार सुमन:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान विभिन्न सरकारी पहलों के अंतर्गत सृजित रोजगार का वर्ष-बार ब्यौरा क्या हैं;

(ख) सरकार द्वारा संगठित और असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा कवरेज को मजबूत करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(ग) बिहार सहित देश में ई-श्रम पोर्टल तथा अन्य संबंधित कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन में सरकार द्वारा की गई प्रगति का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का देश में अतिरिक्त रोजगार-संबद्ध प्रोत्साहन उपाय शुरू करने का प्रस्ताव है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ड) सरकार द्वारा देशभर में युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (ड): भारत में रोजगार और बेरोज़गारी के आधिकारिक अनुमानों को आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) से प्राप्त किया जाता है जिसे सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा वर्ष 2017-18 से आयोजित किया जा रहा है। पीएलएफएस की कार्यप्रणाली में जनवरी 2025 से नवीनीकरण किया गया था। पीएलएफएस वार्षिक रिपोर्ट, 2025 संशोधित श्रृंखला की पहली रिपोर्ट है जिसमें जनवरी से दिसंबर 2025 की अवधि के श्रम बाज़ार संबंधी अनुमान प्रस्तुत किए गए हैं।

पीएलएफएस रिपोर्ट 2025 के अनुसार, देश में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए सामान्य स्थिति के आधार पर रोजगार दर्शाने वाला अनुमानित कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) वर्ष 2022 में 54.1% से बढ़कर वर्ष 2025 में 57.4% हो गया है; 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए सामान्य स्थिति के आधार पर अनुमानित श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर) वर्ष 2022 में 56.1% से बढ़कर वर्ष 2025 में 59.3% हो गई है

और अनुमानित बेरोजगारी दर (यूआर) वर्ष 2022 में 3.6% से घटकर वर्ष 2025 में 3.1% हो गई है।

श्रम और रोजगार मंत्रालय ने ई-श्रम पोर्टल (eshram.gov.in) लॉन्च किया है, जो असंगठित कामगारों की विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक पहुंच के लिए वन-स्टॉप-समाधान है, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने दिनांक 21 अक्टूबर 2024 को ई-श्रम - "वन-स्टॉप-समाधान " शुरू किया। ई-श्रम- "वन-स्टॉप-समाधान" में एकल पोर्टल यानी ई-श्रम पर विभिन्न सामाजिक सुरक्षा/कल्याण योजनाओं का एकीकरण किया गया है। इससे ई-श्रम पर पंजीकृत असंगठित कामगारों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक पहुंचने और ई-श्रम से अब तक प्राप्त लाभों को देखने का अवसर मिलता है। अब तक, विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों की पंद्रह (15) योजनाओं को ई-श्रम के साथ एकीकृत/मैप किया जा चुका है ताकि ई-श्रम कार्ड धारकों को सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य बीमा और दुर्घटना दावे का लाभ तथा पहुंच प्रदान की जा सके।

श्रम संहिताओं को व्यापक श्रम सुधारों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अधिनियमित किया गया था जो रोजगार का औपचारिकरण करते हैं, डिजिटल एकीकरण के माध्यम से अनुपालन को सरल बनाते हैं, सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करते हैं और कार्यस्थल सुरक्षा और समानता सुनिश्चित करते हैं। संहिताएं कामगारों के लिए सार्वभौमिक न्यूनतम वेतन और सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करेंगी।

श्रम संहिताओं में कई सक्षम प्रावधान भी हैं जो सामाजिक सुरक्षा और कामगारों के कल्याण सहित औपचारिकता और रोजगार सृजन को बढ़ावा देंगे। इस तरह के प्रावधानों में नियुक्ति पत्र जारी करने की अनिवार्यता से रोजगार का औपचारिकरण, संगठित, असंगठित, गिग और प्लेटफॉर्म कामगारों को शामिल करके सामाजिक सुरक्षा का सार्वभौमिकरण शामिल है ताकि रोजगार से संबंधित कमियों के प्रति उनकी सुरक्षा को मजबूत किया जा सके और गिग और प्लेटफॉर्म वर्क और प्रौद्योगिकी-संचालित रोजगार मॉडल जैसे नए तरह के काम के लिए अधिक अनुकूलन बनाना शामिल है।

नियोजनीयता में सुधार करते हुए रोजगार का सृजन करना सरकार की प्राथमिकता रही है। तदनुसार, सरकार देश भर में विभिन्न रोजगार सृजन योजनाओं/कार्यक्रमों को कार्यान्वित कर रही है। सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न रोजगार सृजन योजनाओं/कार्यक्रमों का विवरण https://dge.gov.in/dge/schemes_programmes पर देखा जा सकता है।

रोज़गार मेले एक प्रमुख पहल है जिसे रोजगार सृजन को प्राथमिकता देने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। शुरुआत से अब तक, देश भर में आयोजित किए गए 19 रोज़गार मेलों के माध्यम से 12.5 लाख से अधिक नियुक्ति पत्र जारी किए जा चुके हैं।

सरकार विभिन्न योजनाओं, जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस), राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना (एनएपीएस) तथा देश के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के माध्यम से शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस) के अंतर्गत कौशल विकास केंद्रों/विद्यालयों/महाविद्यालयों/संस्थानों आदि के विस्तृत नेटवर्क के माध्यम से कौशल, पुनः-कौशल (रि-स्किल) और उन्नत-कौशल (अप-स्किल) प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए स्किल इंडिया मिशन (एसआईएम) लागू कर रही है। एसआईएम का उद्देश्य भारत के युवाओं को भविष्य के लिए तैयार करना तथा उन्हें उद्योग-संबंधित कौशलों से सुसज्जित करना है।

एमएसएमई मंत्रालय ने 01.07.2020 को उद्यम पंजीकरण पोर्टल शुरू किया है जिसका उद्देश्य उद्यमों को औपचारिक रूप देना, सरकारी सहायता तक पहुँच का विस्तार करना और एमएसएमई पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ करना है। उद्यम पंजीकरण पोर्टल में कुल 8.9 करोड़ सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) पंजीकृत किए गए हैं जो देशभर में 39 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान कर रहे हैं तथा जिसमें उद्यम सहायता प्लेटफॉर्म (यूएपी) भी शामिल है।

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता सहित 10 नई/उभरती प्रौद्योगिकियों में रोजगार के लिए आईटी कर्मियों की री-स्किलिंग/अप-स्किलिंग के लिए 'फ्यूचर स्किल्स प्राइम' कार्यक्रम शुरू किया है।

इसके अलावा, सरकार विनिर्माण क्षेत्र पर विशेष ध्यान देते हुए, सभी क्षेत्रों में रोज़गार सृजन, रोज़गार क्षमता और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री विकसित भारत रोज़गार योजना नामक रोज़गार से जुड़ी प्रोत्साहन (ईएलआई) योजना को कार्यांवित कर रही है। 99,446 करोड़ रुपये के परिव्यय वाली इस योजना का उद्देश्य 2 वर्षों की अवधि में देश में 3.5 करोड़ से अधिक रोजगारों के सृजन को प्रोत्साहित करना है। पीएमवीबीआरवाई एक मांग-संचालित योजना है। इस योजना के भाग 'क' के तहत, पहली बार नौकरी करने वाले 13.18 लाख कर्मचारियों को 744.7 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि वितरित की गई है; तथा भाग 'ख' के तहत, 83,535 लाभार्थी प्रतिष्ठानों को 2068.84 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि वितरित की गई है।

इसके अतिरिक्त, भारत सरकार का श्रम और रोजगार मंत्रालय, राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) पोर्टल चला रहा है, जो निजी और सरकारी क्षेत्रों की नौकरियों की जानकारी, ऑनलाइन और ऑफलाइन रोजगार मेलों की जानकारी, नौकरी खोज और मिलान, करियर परामर्श, व्यावसायिक मार्गदर्शन, कौशल विकास पाठ्यक्रमों की जानकारी, कौशल/प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि सहित करियर से संबंधित सेवाएं एक डिजिटल प्लेटफॉर्म [www.ncs.gov.in] के माध्यम से प्रदान करने के लिए वन-स्टॉप समाधान है।
